

**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा**

**प्रकरण संख्या 68/2023 खाद्य सुरक्षा  
उनवान प्रकरण**

सरकार जरिये मनीष कुमार शर्मा खाद्य बनाम  
सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा  
एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा

1. सिद्धार्थ चौधरी पुत्र विनोद चौधरी मेसर्स एयर प्लाजा रिटेल होलडिंग्स प्रा. लि. के/ओ - विशाल मेगा मार्ट प्लॉट नं. 2 खसरा नं. 354, अजमेर हाईवे रोड, सुभाष नगर भीलवाड़ा
2. मेसर्स एयर प्लाजा रिटेल होलडिंग्स प्रा. लि. के/ओ - विशाल मेगा मार्ट प्लॉट नं. 2 खसरा नं. 354, अजमेर हाईवे रोड, सुभाष नगर भीलवाड़ा
3. राजू जाटव (नोमिनी) मेसर्स एयर प्लाजा रिटेल होलडिंग्स प्रा. लि. के/ओ - विशाल मेगा मार्ट प्लॉट नं. 2 खसरा नं. 354, अजमेर हाईवे रोड, सुभाष नगर भीलवाड़ा

- प्रार्थी

-विपक्षी

**जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय  
धारा 51**

उपस्थित-

- 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
- 2 श्री रामगोपाल चंडक अधिवक्ता - विपक्षी की ओर से

**आदेश**

**दिनांक 29.11.2024**

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी सिद्धार्थ चौधरी पुत्र विनोद चौधरी मेसर्स एयर प्लाजा रिटेल होलडिंग्स प्रा. लि. के/ओ - विशाल मेगा मार्ट प्लॉट नं. 2 खसरा नं. 354, अजमेर हाईवे रोड, सुभाष नगर भीलवाड़ा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को हनी व अन्य किराणा सामान का विक्रय कर रहा था। सिद्धार्थ चौधरी पुत्र विनोद चौधरी मेसर्स एयर प्लाजा रिटेल होलडिंग्स प्रा. लि. के/ओ - विशाल मेगा मार्ट प्लॉट नं. 2 खसरा नं. 354, अजमेर हाईवे रोड, सुभाष नगर भीलवाड़ा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विक्रेता फर्म पर Ghee( Brand - PURE BURST) पैकेट विक्रय हेतु रखा पाया गया। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति, रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला



अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म-6 मेमोरेण्डम, फर्म के संविधान संबंधित पत्र, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.02.2023 को समय 1.00 पी.एम. पर बाहसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु सिद्धार्थ चौधरी पुत्र विनोद चौधरी मेसर्स एयर प्लाजा रिटेल होलडिंग्स प्रा. लि. के/ओ - विशाल मेगा मार्ट प्लॉट नं. 2 खसरा नं. 354, अजमेर हाईवे रोड, सुभाष नगर भीलवाडा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया। विक्रेता ने बताया कि उक्त फर्म का मालिक वह स्वयं हैं।

मौके पर गवाह व विक्रेता की उपस्थिति में विक्रेता को 1180/-रु. नगद देकर Ghee( Brand - PURE BURST) जांच हेतु खरीदा एवं रसीद प्राप्त की। गवाह व विक्रेता के सामने चार लेबल तैयार किये गये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एक्स- 1534 नाम, पता, वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक डाले गये। प्रत्येक नमूना भाग के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर गोंद से चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को खाकी कागज में लपेटकर, दोनों सिरों को मोड़कर, गोंद से चिपका कर, मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। नियमानुसार मौका फर्द तैयार कर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस./173/एक्ट/2023 /200 दिनांक 10.03.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, Ghee( Brand - PURE BURST) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि सिद्धार्थ चौधरी पुत्र विनोद चौधरी मेसर्स एयर प्लाजा रिटेल होलडिंग्स प्रा. लि. के/ओ - विशाल मेगा मार्ट प्लॉट नं. 2 खसरा नं. 354, अजमेर हाईवे रोड, सुभाष नगर भीलवाडा द्वारा सबस्टैण्डर्ड Ghee( Brand - PURE BURST) का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 29.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 31.10.2023 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी अधिवक्ता उपस्थित है।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना गाय का Ghee( Brand - PURE BURST) सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने Ghee( Brand - PURE BURST) में Reichert Value 22.07 पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह Minimum 24.0 होना चाहिए था। इसी प्रकार Foreign Fat Present (Fatty acid profile of sample does not match with the Fatty Acid profile of ghee पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह Foreign Fat Absent होना चाहिए था। इसलिए लिये गया खाद्य



नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड Ghee( Brand - PURE BURST) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरुद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षीगण जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षीगण द्वारा कोई मिलावट नहीं की जाती है। शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। निवेदन है कि विपक्षीगण के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही को समाप्त करने की कृपा करें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस./173/एक्ट/2023/200 दिनांक 10.03.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, Ghee( Brand - PURE BURST) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने Ghee( Brand - PURE BURST) में Reichert Value 22.07 पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह Minimum 24.0 होना चाहिए था। इसी प्रकार Foreign Fat Present (Fatty acid profile of sample does not match with the Fatty Acid profile of ghee) पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह Foreign Fat Absent होना चाहिए था। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड Ghee( Brand - PURE BURST) विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षीगण द्वारा Ghee( Brand - PURE BURST) का विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा सबस्टैण्डर्ड Ghee( Brand - PURE BURST) का विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षीगण को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षीगणों द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूप समस्त विपक्षीगणों पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत कुल 48,000/रुपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षीगण उपरोक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान जमा करा, चालान प्रति पेश करें। निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख है कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।
- 2 सिद्धार्थ चौधरी पुत्र विनोद चौधरी एवं राजू जाटव (नोमिनी) मेसर्स एयर प्लाजा रिटेल होलडिंग्स प्रा. लि. के/ओ - विशाल मेगा मार्ट प्लॉट नं. 2 खसरा नं. 354, अजमेर हाईवे रोड, सुभाष नगर भीलवाडा को भेजकर लेख है कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
भीलवाडा (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
भीलवाडा (राज.)